पेचवर्क में ये हाल, तो डामरीकरण में क्या करता होगा नगर निगम ?

उपग्रह

रतलाम। नगर निगम द्वारा शहर में खुदाई और बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों पर पेचवर्क में घपला सामने आया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने इसकी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए ठेकेदार का भुगतान रोक दिया है। पेचवर्क की जांच कराने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। यदि पेचवर्क के ये हाल हैं, तो डामरीकरण सहित अन्य कार्यों में नगर निगम की स्थिति क्या होगी? इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है।

बीते साल बारिश में शहरवासियों ने सड़क मार्गों पर बहुत कष्ट झेला, क्योंकि पहले सीवरेज और पाइप लाइनों के लिए हर सड़क को खोद दिया गया और बाद में बारिश ने हालत बिगाड़ दी। नगरीय निकाय चुनाव की संभावना के मद्देनजर नेताओं और प्रशासन द्वारा पहले पंचवर्षीय योजना के तहत सभी क्षतिग्रस्त सड़कों का नवनिर्माण करने का प्रचार किया गया, लेकिन इससे जनता का आक्रोश खत्म नहीं हुआ, तो पेचवर्क कर सड़कों को उपयोगी बनाने की पहल हुई।

विडंबना है कि नगर निगम द्वारा पेचवर्क के कार्य में ईमानदारी नहीं बरती गई। पहले इसमें भेदभाव हुआ और बाद में धांधली भी सामने आ गई। पैलेस रोड के पेचवर्क की गुणवत्ता को लेकर गत दिनों गंभीर शिकायत मिली, तो कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम को सक्रियता दिखाना पड़ी। उन्होंने भी माना कि पैलेस रोड का पेचवर्क प्रथम दृष्टया ही गुणवत्ताहीन है। इसलिए उन्होंने ना केवल पैलेस रोड का पेच वर्क दोबारा कराने के निर्देश दिए हैं बल्कि निगमायुक्त को यह भी निर्देशित किया है कि नगर निगम के अधिकारियों के अलावा एक तकनीकी अधिकारी से पृथक समस्त सड़क पेचवर्क की जांच कराई जाए। उसकी रिपोर्ट के बाद ही समस्त पेचवर्क कार्यों का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा। कलेक्टर एवं प्रशासक ने पृथक जांच के लिए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री अनुरागसिंह को नियुक्त भी किया है। उन्हें पैलेस रोड पर पेचवर्क गुणवत्ता की जांच जल्द पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

लापरवाह अधिकारी, अमला बेलगाम

पेचवर्क अथवा अन्य कोई भी कार्य हो, नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही से वे गुणवत्ता पूर्ण नहीं होते। दरअसल निगम अधिकारी कभी मैदानी सक्रियता दिखाते नहीं हैं। वे निर्माण कार्य का ठेका देने के बाद कभी मौके पर जाकर कार्य की गुणवत्ता नहीं देखते, जिससे कुछ ही दिनों में उनकी पोल खुल जाती है। सीवरेज योजना का कार्य हो, पाइप लाइन डालने का कार्य हो अथवा मुख्य बाजारों में नालों पर पुलिया बनाने का कार्य हो, इन सभी में निगम अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। निगम अमला भी बेलगाम है, हरदेवलाला पिपली क्षेत्र में निर्माणाधीन पुलिया का ढहना इसका जीता जागता प्रमाण है। इससे पहले भी कई जगह बार-बार सड़क खोदने और फिर से बनाने की पहल भी निगम अमले के बेलगाम होने का ही उदाहरण देते रहे हैं। नगर में पारस सकलेचा के महापौर काल में ही खुद महापौर ने मैदानी स्तर पर सड़क बनने से लेकर कई कामों की जांच-पड़ताल की थी, इसके अलावा अब तक किसी नेता अथवा अधिकारी ने ऐसा नहीं किया। इससे जनधन का लगातार दुरूपयोग हो रहा है।

उपग्रह 7/1/22

सिटी मैनेजर व सामुदायिक संगठिकाओं का माह दिसम्बर का वेतन रोका

रतलाम ● स्वदेश समाचार

डे-एनयूएलएम के विभिन्न घटकों की वित्तीय वर्ष 2021-22 की जारी रैंकिंग में रतलाम नगर निगम को निम्न स्तर का स्थान प्राप्त होने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार 2 सिटी मैनेजर व 5 सामुदायिक संगठिकाओं का माह दिसम्बर 2021 का वेतन रोका गया।

डे-एनयूएलएम के विभिन्न घटकों की वित्तीय वर्ष 2021-22 की जारी रैंकिंग में रतलाम नगर निगम को निम्न स्तर का स्थान प्राप्त होने से स्पष्ट होता है कि सिटी मैनेजर भगवानसिंह राजपूत, कपील मारोठिया, सामुदायिक संगठिका श्रीमती राजश्री गुमास्ते, श्रीमती सीमा सुरोलिया, श्रीमती रेखा राठौर, श्रीमती हेमा सिलावट, सुश्री निर्मला राय द्वारा कार्यो में लापरवाही बरती जाकर नगर निगम की छवि धूमिल की जा रही है। उक्त कर्मचारियों द्वारा समस्त घटकों का 100 प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने पर ही रोका गया वेतन भुगतान किया जावेगा।

सामुहिक विवाह स्थागित

रतलाम ● जांगिड़ ब्राह्मण समाज मंदिर ट्रस्ट एवं नवयुवक मंडल नाहरपुरा रतलाम के द्वारा बसंत पंचमी पर आयोजित किया जाने वाला 14 वां निःशुल्क सामुहिक विवाह को कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए स्थगित किया गया हैं। उक्त जानकारी समाज एवं मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष जनक नागल ने दी।

स्वदेश

स्वदेश 7/1/22

काम में लापरवाही पर कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई

रतलाम। शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने निरीक्षण किया। 6 कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश दिये। रामजीलाल-किशन, अजय-बसंत, दौलत-राजू, नरेन्द्र-विजय, आकाष-मुकेष व धनराज-बसंत द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

दशपुर दर्पण(?) 7/1/22

रात्रिकालिन सफाई के 6 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम। शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा 5 जनवरी को निरीक्षण किये जाने पर 6 कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देष संबंधित को दिये। 5 जनवरी बुधवार को रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान अजय-बसंत, दौलत-राजू, नरेन्द्र-विजय, आकाश-मुकेश, रामजीलाल-किशन, धनराज-बसंत द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

प्रसारण 7/1/22

गंदगी मिली तो जोन प्रभारी, वार्ड दरोगा और सफाई कर्मचारी दोषी, अब सीधे कार्रवाई होगी

स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर आयुक्त सोमनाथ झारिया ने की सख्ती

भास्कर संवाददाता | रतलाम

शहर की सफाई को लेकर नगर निगम लगातार सख्ती करता जा रहा है। प्रत्येक वार्ड की मॉनीटरिंग शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के जोन प्रभारी से लेकर सफाई कर्मचारियों तक की जिम्मेदारी तय कर दी है। आयुक्त ने चेतावनी दी है कि किसी भी वार्ड में गंदगी मिली तो जोन प्रभारी, वार्ड दरोगा और क्षेत्र के सफाई कर्मचारी दोषी होंगे। इसके लिए आयुक्त ने कार्यपालन यंत्री और वार्ड इंजीनियरों के मॉनीटरिंग पर लगाया है।

6 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटा

रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था में लगे कर्मचारियों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार रात आयुक्त सोमनाथ झारिया को 6 कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं मिले। पूछने पर दरोगा ने बताया अनुपस्थिति को लेकर कोई सूचना नहीं हैं। इस पर आयुक्त ने तत्काल सभी का एक दिन का वेतन काटने के आदेश दे दिए। बर्खास्त करने का नोटिस भी जारी कर दिया। बुधवार को अजय-बसंत, दौलत-राजू, नरेंद्र-विजय, आकाश-मुकेश, रामजीलाल-किशन, धनराज-बसंत अनुपस्थित रहे।

68 टन कचरे का कलेक्शन- कसावट के बाद शहर से उठने वाले कचरे की मात्रा बढ़ती जा रही है। गुरुवार को 68 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंची। इसमें भी डंपर से 21535 किलो, ट्रेक्टर से 11575 किलो, कॉम्पेक्टर से सूखा कचरा 18835 किलो तथा गीला कचरा 16870 किलो पहुंचा। इस तरह कुल 68815 किलो कचरा ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचा। भास्कर

दै. भास्कर 7/1/22

प्लास्टिक के उपयोग प्रतिबंध के बाद कार्यवाही की दरकार

रतलाम। ग्रामीण क्षेत्र के धार्मिक स्थलों में एसडीएम कृतिका भिमावत ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर प्लास्टिक थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। नगरीय क्षेत्र में इससे पहले ही प्रतिबंध लगे हुए है, लेकिन जब तक इनका सख्ती से पालन नहीं होगा, तब तक परिणाम मिलना मुश्किल है।

बताया जाता है कि रतलाम ग्रामीण तहसीलदार सहित नामली, बिलपांक, मुंदड़ी के नायब तहसीलदारों द्वारा देव स्थानों में फूलमाला, प्रसाद आदि लाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का अधिकाधिक उपयोग होने की जानकारी दी गई थी। प्लास्टिक थैलियों को उपयोग पश्चात खुले में मंदिर परिसर अथवा परिसर के बाहर फेंक दिया जाता है। इससे मंदिर परिसर के बाहर विचरण करने वाले गौवंश एवं अन्य पशुओं द्वारा प्लास्टिक थैलियों को खाने की आशंका रहती है, वहीं अन्य प्रदूषण फैलने की भी संभावना रहती है।

गौरतलब है कि प्लास्टिक के उपयोग की यह समस्या अकेले रतलाम ग्रामीण क्षेत्र की नहीं है। जिले सहित पूरे प्रदेश और देश में इसका बहुतायत से उपयोग हो रहा है। सरकार ने न्यायालय के आदेश पर पिछले दिनों कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन वे असरकारी साबित नहीं हुए। प्रशासन का अमला कुछ दिन कार्यवाही कर निष्क्रिय हो जाता है और बाजारों में फिर प्लास्टिक का उपयोग शुरू हो जाता है। रतलाम शहर में ही पिछले साल कई बार सख्त अभियान चले, लेकिन हर बार कुछ दिनों तक जागरूकता आई और फिर चली गई। ग्रामीण क्षेत्र में लगाए गए प्रतिबंध के बाद फिर पूरे जिले में कार्यवाही की दरकार है, क्योंकि प्लास्टिक के दुष्परिणाम सभी भुगत रहे हैं।

अप्रैल

अप्रैल 7/1/22

अवैध नल विच्छेद की कार्यवाही प्रारंभ

- 1.24 लाख जलकर की राशि बकाया होने पर वृन्दावन सोसायटी का कनेक्शन विच्छेद - बकाया वसूली व अवैध नल विच्छेदन हेतु वार्डवार अधिकारी नियुक्त - श्रीमालीवास से 8 अवैध विच्छेद किए- 46 हजार की राशि बकाया के रूप में वसूली

प्रसारण न्यूज ◆ रतलाम

अवैध नल विच्छेदन व जलकर की बकाया राशि वसूलने हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने झोन अनुसार अधिकारियों को नियुक्त किया है जिसके तहत नियुक्त अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करते हुए वृन्दावन सोसायटी पर 1.24 लाख की राषि बकाया जमा नहीं करने पर बल्क कनेक्शन विच्छेद किया गया इसके अलावा अवैध नल विच्छेदन की कार्यवाही के तहत श्रीमालीवास से कनेक्षन विच्छेद किया गया साथ ही विभिन्न वार्डो में जलकर की बकाया वसूली करते हुए 93,950/- की राशि वसूली।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने कार्यपालन यंत्री मोहम्मद हनीफ षेख के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए वृन्दावन सोसायटी पर 1.24 लाख की राशि बकाया जमा नहीं करने पर बल्क कनेक्षन विच्छेद किया।

अवैध नल विच्छेदन की कार्यवाही के तहत श्रीमालीवास क्षेत्र में कमलाबाई- मनोहर, अंकित-अशोक, डी.एस. कलेक्शन, वीरू-भगतसिंह, जीवनलाल-पन्नालाल, अरूणा-कैलाश, मनोहर-अशोक कुमार व रामचन्द्र का अवैध नल कनेक्शन विच्छेद किया गया।

बकाया जलकर वसूली की कार्यवाही के तहत वार्ड क्रमांक 1 से 12 में 15,720/-, वार्ड क्रमांक 13 से 25 में 29,540/-, वार्ड क्रमांक 26 से 37 में 14,250/- व वार्ड क्रमांक 38 से 49 में 34,440/- इस तरह कुल राशि रूपये 93,950/- की बकाया राशि वसूली।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री मोहम्मद हनीफ शेख के निर्देशन में उपयंत्री सुहास पंडित, भैय्यालाल चौधरी, केमिस्ट नीरज यादव व जितेन्द्र सिसोदिया द्वारा की गई।

प्रसारण 7/1/22

कोरोना विस्फोट : सरकार सख्त हुई

रतलाम। जिले में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। लगातार तीसरे साल कोरोना की लहर चलने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो चला है। नए साल में कोरोना संक्रमित लगातार सामने आ रहे हैं। प्रशासन ने फिर से पाबंदियों का दौर शुरू कर दिया है। मंगलवार को एक साथ 14 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद एक सप्ताह में ही कोरोना मरीजों की संख्या 20 से अधिक हो गई। 6 महीने के अंतराल के बाद इतने मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है।

सरकार द्वारा हाल ही में 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत की गई है। इससे पूर्व इससे अधिक उम्र के सभी लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बच्चों को टीके लगे और उनका असर हो, उससे पूर्व ही कोरोना ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को सामने आए पॉजिटिव मरीजों में 6 वर्ष, 15 वर्ष और 17 वर्ष के बच्चे भी शामिल हैं। रतलाम शहर के साथ जावरा, पिपलोदा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमित मरीज मिलने से पूरा जिला हलाकान है।

तीसरी लहर की दस्तक

प्रशासन द्वारा पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना की रोकथाम के लिए बाहर जाकर आए मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं, ताकि पता चले कि उन्हें कोरोना के नए वेरियंट ओमीक्रान का असर तो नहीं हुआ है। सभी पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आए लोगों और परिजनों का कोरोना टेस्ट भी करवाया जा रहा है।

कोरोना का असर बढ़ते ही प्रशासन ने धारा 144 के अंतर्गत रतलाम शहर में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। शादी एवं अन्य समारोह के आयोजनों पर रोक लगाई जा रही है। स्कूलों और कार्यालयों में उपस्थिति कम करने के प्रयास किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को कलेक्टर ने कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रा और संक्रमित क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों की शत-प्रतिशत जांच के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश शासन ने शादियों में अधिकतम 250 लोग और अंतिम संस्कार में 50 लोगों की उपस्थिति की छूट देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने भी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कोरोना से बचाव के लिए मास्क के साथ सोशल डिस्टेंस रखने और सेनीटाइजर के उपयोग संबंधी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के पूरे परिवार को एक सप्ताह तक क्वॉरंटाइन रखने के निर्देश भी दिए हैं। जिला प्रशासन द्वारा निजी अस्पतालों पर बिना अनुमति के कोरोना मरीजों का उपचार नहीं करने की पाबंदी भी लगा दी गई है।

अग्रज 7/1/22

शहर के 76.72% बच्चे वैक्सीनेटेड 501 बीमार या बाहर होने से हैं बाकी

स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के लिए आज से वार्डों में घूमेंगे

भास्कर संवाददाता | रतलाम

जिले में बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन तेजी से हुआ है। अब तक शहर में 76.72% बच्चे पॉजिटिव हो गए हैं। स्कूली बच्चे 501 बचे हैं, इनसे भी संपर्क हो गया है। कोई शहर से बाहर है तो कोई बीमार होने के कारण अभी वैक्सीन नहीं लगवा रहा। इधर, अब फोकस स्कूल छोड़ने वाले बच्चों पर है। इसके लिए वार्डवार वाहन घुमाए जाएंगे।

जिले में स्कूली बच्चों का सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन रतलाम शहर में ही हुआ है। शहर में 19,564 बच्चों में से 15,009 बच्चों को टीके लग गए हैं। इनमें स्कूल जाने वाले बच्चे 15,550 है। शहर के ज्यादातर स्कूलों में वैक्सीनेशन पूरा हो गया है। जिन बच्चों ने टीका नहीं लगवाया है, उन सभी से फोन पर संपर्क भी कर लिया है। ऐसे 501 बच्चे हैं। इधर, अब स्कूल छोड़ने वाले या पन्नी बीनने सहित अन्य काम करने वाले बच्चों को टीके लगाएं जाएंगे। इसके लिए अलग-अलग वार्डों में टीम घूमेगी।

जिले में अभी कहां कितना वैक्सीनेशन

ब्लॉक	बच्चे	टीके लगे	प्रतिशत
शहर	19564	15009	76.72
आलोट	14142	7369	52.11
जावरा	15700	10733	68.36
पिपलौदा	8937	5210	58.30
सैलाना	8720	4167	47.79
ग्रामीण	16299	9388	57.60

15 वाहन वार्ड में जाएंगे

ज्यादातर स्कूली बच्चे वैक्सीनेटेड हो गए हैं। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए शुक्रवार से वार्डों में वाहन जाएंगे। इसके लिए 15 वाहन तैयार किए हैं।

अभिषेक गेहलोत, एसडीएम, रतलाम

दै. भास्कर 7/1/22

बढ़ते संक्रमण ने बढ़ाई सख्ती, नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानों पर जड़े ताले

अब फिर से विवाह आयोजनों पर लेना होगी अनुमति, संख्या कर दी तय, मेला प्रतिबंधित

पत्रिका
महामारी से महामुकाबला

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिले में कोरोना संक्रमण के एक बार फिर से पैर पसारने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के साथ पूरा पुलिस और प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर आ गया है। लगातार बढ़ते मरीजों के बाद पुलिस और प्रशासन ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। इसके चलते गुरुवार को शहर एसडीएम अभिषेक गहलोत और सीएसपी हेमंत चौहान शहर की सड़कों पर घूमे और बिना मास्क वालों पर चालानी कार्रवाई की। इतना ही नहीं सराफा बाजार में दो व्यापारियों की दुकान पर ताले भी जड़ दिए।

सुबह से दोनों अधिकारी अमले के साथ बाजार में लोगों को मास्क लगाने के लिए समझाइश देते नजर आए। उसके बाद दोनों अधिकारी सैलाना बस स्टैंड चौराहे पर पहुंचे और बिना मास्क के निकल रहे वाहन चालकों को रोककर उनके चालान बनाए और लापरवाही बरती जाने पर फटकार भी लगाई। इस दौरान यहां के अतिरिक्त अन्य चौराहों पर भी दिनभर पुलिस और प्रशासन के साथ नगर निगम का अमला चालानी कार्रवाई करता नजर आया।

यहां की कार्रवाई

पुलिस और प्रशासन की टीम बाजार में भ्रमण करने के दौरान सराफा बाजार में पहुंची तो यहां भी दुकानों पर नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आई। ऐसे में टीम के द्वारा यहां पर दो सराफा व्यापारियों के यहां कार्रवाई करते हुए उनकी दुकानों पर ताले लगवा दिए गए। इसके अतिरिक्त अधिकारियों द्वारा जिला पंचायत के पास पहुंचने पर यहां एक चाय की होटल पर जमा भीड़ को देख उसे भी बंद करा दिया गया।

विवाह समारोह की लेना होगी अनुमति

विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। विवाह कार्यक्रम की पूर्वानुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार, उठावना में अधिकतम 50 व्यक्ति को ही अनुमति दी जा सकेगी। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में जहां संक्र मण को रोकने के लिए आवश्यक हो, वहां कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। आदेश उल्लंघन की स्थिति में धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

कोरोना के 12 नए मरीज आए सामने

रतलाम में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। मेडिकल कॉलेज की लैब से गुरुवार रात आई जांच रिपोर्ट में 12 न[ए] मरीज सामने आए हैं। सभी मरीज रतलाम व आसपास के क्षेत्र के हैं। रिपोर्ट आने के बाद मरीजों के घर पर कंटेनमेंट बनाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग का मामला परिवार के अन्य लोगों के बीच सैंपल एकत्र करने में लगा हुआ है। रात को ही जां[च] रिपोर्ट में मेडिकल कॉलेज परिसर में रहने वाले 2 लोग भी पॉजिटिव प[ाए] गए हैं। इसके अतिरिक्त 10 अन्य लोगों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है।

पत्रिका

पत्रिका 7/1/22

स्वच्छ सर्वेक्षण की तैयारियों निगम आयुक्त ने ली बैठक

शहर को 100 प्रतिशत कचरा मुक्त शहर बनाना है-झारिया

रतलाम ● स्वदेश समाचार

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम नगर को सर्वेक्षण के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे नम्बर प्राप्त होकर रतलाम नगर को उच्चतम अंक मिले इस हेतु निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सर्वेक्षण कार्य में जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी तथा एचएमएस के सदस्यों के साथ बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि रतलाम शहर को 100 प्रतिशत कचरा मुक्त शहर बनाना है इस हेतु सभी अपनी-अपनी तैयारियों में जुट जायें। उन्होने निर्देशित किया कि नगर सभी 49 वार्डो के प्रत्येक घर व दुकानों से सेग्रीगेटेट कचरा लिया जाये इस हेतु नागरिकों को अपने घरों में चार प्रकार के कचरे के लिये 4 लीटरबीन रखने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।

उन्होने बैठक में निर्देशित किया कि निगम के सभी कचरा संग्रहण वाहनों में जीपीएस सिस्टम तत्काल चालू करवाये जायें साथ ही इस बात की सुनिश्चित्ता की जाये की प्रत्येक घर व दुकान से कचरा संग्रहण हो रहा है या नहीं।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने कहा कि रतलाम का सीवरेज सिस्टम प्रारंभ है साथ ही वॉटर ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। ट्रीटेड पानी का संग्रहण कर अन्य उपयोग में दिये जाने हेतु एसटीपी प्लांट पर सम्पवेल निर्माण प्रारंभ किये जाने की कार्यवाही तेजी से की जाये ताकि सम्पवेलन निर्माण कराया जाये व रतलाम नगर वॉटर सप्लाय कर सकें।

वेस्ट जनरेटर की सूची तैयार करें

बल्क वेस्ट जनरेटर की जानकारी बैठक में दिये जाने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि बल्क वेस्ट जनरेटर की सूची में 200 बेड के शासकीय व निजी अस्पताल, स्कूल, 5000 स्क्वेयर फीट के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, इण्डस्ट्रीज आदि को भी सम्मिलित कर झोन प्रभारी सूची तैयार कर प्रस्तुत करें।

प्लास्टिक पूर्णतः प्रतिबंधित

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि शहर मे 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लॉस्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जानां है इस हेतु इसके भण्डारण, खरीदी-बिक्री पर रोक लगाये जाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाये।

एचएमएस के सदस्यों द्वारा शहर में गार्बेज की स्थित से अवगत कराते हुए इसमें क्या-क्या सुधार किये जा सकते है इसकी जानकारी से अवगत कराया। साथ ही सार्वजनिक शौचालय व सुलभ शौचालय की जानकारी से अवगत कराया। बैठक में उपायुक्त विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द व्यास, मोहम्मद हनीफ शेख, स्वास्थ्य अधिकारी जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्याम सोनी, प्रभारी सहायक यंत्री एम.के. जैन, अरविन्द दशोत्तर, सत्यप्रकाश आचार्य, अनवर कुरेशी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा, सुहास पंडित, बी.एल चौधरी, राजेश पाटीदार, ... कुशवाह, श्रीमती अनिता ठाकुर, सुश्री ... निजामपुरकर, सहायक राजस्व निरी... बलवंत राठौर, सहायक वर्ग-2 बी. ... चावरे, उद्यान प्रभारी धर्मेन्द्र दोगाया, ... पारा, झोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत... विनय चौहान सहित वार्ड पर्यवेक्षक उपस्थित थे। स्वदेश

स्वदेश 7/1/22

कोरोना संक्रमण में वृद्धि को चुनौती के रूप में लें

महामारी से जंग ●मुख्यमंत्री ने संक्रमण की स्थिति और व्यवस्था की जानकारी भी ली

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। देश एवं प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को चेताया कि संक्रमण में वृद्धि को चुनौती के रूप में लें। वे गुरुवार को मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकांश मरीजों को आक्सीजन और उन्नत उपचार (एडवांस ट्रीटमेंट) की जरूरत नहीं है। इसलिए मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर में व्यवस्थाएं करें, ताकि अस्पतालों में अन्य रोगों के मरीजों का उपचार जारी रह सके। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डा. प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

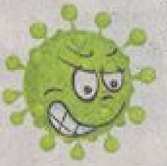

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में आक्सीजन आपूर्ति, होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर सहित अन्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखा जाए। मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिले में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि जिले में वर्तमान में 92 व्यक्ति संक्रमित हैं और इनमें से केवल चार का इलाज अस्पताल में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि वर्तमान में 16 हजार 527 आइसोलेशन बिस्तर, 27 हजार 645 आक्सीजन सपोर्ट बिस्तर और 11 हजार 917 आइसीयू-एचडीयू बिस्तर हैं। आक्सीजन संयंत्र की नियमित देखरेख की जा रही है। सभी आक्सीजन संयंत्र काम कर रहे हैं। नागरिकों से कोरोना गाइड लाइन का पालन करने का अनुरोध किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (बायें) ने गुरुवार को मंत्रालय से प्रदेश में टीकाकरण, कोरोना संक्रमण की स्थिति, नियंत्रण एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। ● सौजन्य जनसंपर्क विभाग

कोई काम में ढिलाई बरते तो उसे कस दें ...

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। सिंचाई परियोजना के कामों में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों और निर्माण एजेंसियों को कस दें। परियोजना में देरी न हो। देरी होने पर जिम्मेदारी तय करें। यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए। वे गुरुवार को मंत्रालय में नर्मदा घाटी विकास और जल संसाधन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सिंचाई के लिए प्रति एकड़ कितनी राशि खर्च कर रहे हैं, यह जनता को पता होना चाहिए। इसका एवं पूरी होने वाली सिंचाई परियोजनाओं का प्रचार करें। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि मैदा अधिकारी नियमित दौरा करते हैं या नहीं वे क्या-क्या करते है और उनके लिए कोई प्लान बनाया है या नहीं? नर्मदा घा विकास विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री कहा कि जो लक्ष्य दिए है, उनका रोडमै बनाकर काम शुरू करें।

अग्निशा 7/1/22

ओमिक्रॉन की चिंता : तीन दुकानों पर लगाए ताले, अब तक जिले में 22 एक्टिव केस

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

जिले में बुधवार शाम 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज के बाद से प्रशासनिक खेमे में हड़कंप मच गया है। अब तक जिले में कुल 22 एक्टिव केस है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश के बाद आला अधिकारियों ने गुरुवार सुबह रतलाम शहर व अंचलों के अलग-अलग हिस्सो में मास्क नहीं पहनने वालो पर सख्ती के साथ चालानी कार्रवाई शुरू कर दी। शहर एसडीएम अभिषेक गेहलोत व सीएसपी हेमंत चौहान ने प्रमुख चौराहों पर लोगों को समझाइश देने के साथ चालान बनाए। इस दौरान कई लोग साईरन सुनकर व अधिकारियों को

देखकर गाड़ी घुमाकर इधर-उधर भागते नजर आए।

चैकिंग के दौरान अधिकारियों ने लापरवाही बरत रहे चांदनी चौक में दो सराफा व्यापारी कीर्ति बडजात्या की हीरालाल झमकलाल एवं हेमन्त भरगट की भरगट ज्वैलर्स तथा कोर्ट चौराहे पर एक चाय रेस्टोरेंट पर मास्क ना पहनने को लेकर फटकार लगाते हुए दुकानों पर ताले लगवा दिए।

एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने चर्चा कर बताया कि लोग पहले की परिस्थितियों से भलीभांति परिचित है, फिर भी लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में लापरवाह लोग खुली जेल के लिए भी तैयार रहे। शहर व जिले में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान अधिकारी चलानी कार्रवाई की सख्ती के साथ लोगों को पहनने के लिए मास्क भी उपलब्ध करवाते नजर आए। कलेक्टर पुरुषोत्तम ने जिलेवासियों से भी लापरवाही ना बरतने की अपील की है।

अवन्तिका

अवन्तिका 7/1/22

कोरोना संक्रमण बढ़ने से कलेक्टर द्वारा नई गाइड लाईन जारी

नीमच। वर्तमान समय में राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है हालांकि नीमच शहर मे अभी इक्का-दुक्का पॉजिटिव केस ही आ रहे थेद्य किंतु बुधवार को 6 पॉजिटिव आने के बाद जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा नई गाइड लाईन जारी की गई है! जिसके अनुसार अब बाजारों में मास्क व पर्याप्त दूरी को लेकर शक्ति बढ़ जाएगी! साथ ही अब बिना मांस्क व नियमों का पालन नहीं करने वालों के चालान भी बनाए जाएंगे! वही नई गाइडलाइन में सामाजिक कार्यक्रमों में भीड़ न हो इसके लिए नए बिंदु जोड़कर लागू किए गए हैं सभी प्रकार के मेले, जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे।

अवन्तिका

ओमिक्रॉन की चिंता : तीन दुकानों पर लगाए ताले, अब तक जिले में 22 एक्टिव केस

रतलाम। जिले में बुधवार शाम 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज के बाद से प्रशासनिक खेमे में हड़कंप मच गया है। अब तक जिले में कुल 22 एक्टिव केस है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश के बाद आला अधिकारियों ने गुरुवार सुबह रतलाम शहर व अंचलों के अलग-अलग हिस्सो में मास्क नहीं पहनने वालो पर सख्ती के साथ चालानी कार्रवाई शुरू कर दी। शहर एसडीएम अभिषेक गेहलोत व सीएसपी हेमंत चौहान ने प्रमुख चौराहों पर लोगों को समझाइश देने के साथ चालान बनाए।

इस दौरान कई लोग साईरन सुनकर व अधिकारियों को देखकर गाड़ी घुमाकर इधर-उधर भागते नज़र आए। चैकिंग के दौरान अधिकारियों ने लापरवाही बरत रहे चांदनी चौक में दो सराफा व्यापारी कीर्ति बड़जात्या की हीरालाल झमकलाल एवं हेमन्त भरगट की भरगट ज्वैलर्स तथा कोर्ट चौराहे पर एक चाय रेस्टोरेंट पर मास्क ना पहनने को लेकर फटकार लगाते हुए दुकानों पर ताले लगवा दिए। एसडीएम अभिषेक गेहलोत ने चर्चा कर बताया कि लोग पहले की परिस्थितियों से भलीभांति परिचित है, फिर भी लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में लापरवाह लोग खुली जेल के लिए भी तैयार रहे। शहर व जिले में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान अधिकारी चलानी कार्रवाई की सख्ती के साथ लोगों को पहनने के लिए मास्क भी उपलब्ध करवाते नजर आए। कलेक्टर पुरुषोत्तम ने जिलेवासियों से भी लापरवाही ना बरतने की अपील की है।

इन्दौर

इन्दौर समाचार 7/1/22

कार्रवाई • बकाया जलकर वसूलने के लिए नगर निगम आयुक्त ने जोन अनुसार अधिकारियों को नियुक्त किया

वृंदावन सोसायटी का नल कनेक्शन काटा, 5 माह क जलकर करीब 1 लाख 24 हजार रुपए हो गया था बकाय

भास्कर संवाददाता | रतलाम

डीएमएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स द्वारा आसाराम बापू नगर के पास बनाई गई वृंदावन सोसायटी का बल्क नल कनेक्शन गुरुवार को नगर निगम ने काट दिया है। सोसायटी समिति 5 माह से जलकर नहीं भर रही थी। इससे 1.24 लाख रुपए का जलकर बकाया हो गया था। नोटिस के बाद कर जमा नहीं कराने पर गुरुवार को कार्यपालन यंत्री मोहम्मद हनीफ शेख ने निगम अमले के साथ पहुंचकर सोसायटी के संपवैल का निगम की पाइप लाइन से कनेक्शन काट दिया। सोसायटी में 30 से ज्यादा परिवार रहते हैं। वृंदावन सोसायटी बिल्डर जितेंद्र नागल ने बनाई है। यह वही बिल्डर है, जिसने सैलाना रोड राम मंदिर के सामने द्वारका रेसीडेंसी बनाते हुए मल्टी के सामने वाली 8950 वर्गफीट सरकारी जमीन पर कब्जा करके सीमेंट कांक्रीट का रोड बना दी थी। शिकायत मिलने पर प्रशासन ने लोहे की जाली लगाकर जमीन सुरक्षित करने साथ ही बिल्डर द्वारा बनाई गई सीसी रोड भी उखाड़ दी यह मामला फिलहाल कोर्ट में हैं।

श्रीमाली वास में भी 8 अवैध नल कनेक्शन काटे

इसी प्रकार श्रीमाल वास में भी आठ मकानों के अवैध नल कनेक्शन काटे। इनमें कमलाबाई-मनोहर, अंकित-अशोक, डीएस कलेक्शन, वीरू-भगतसिंह, जीवनलाल-पन्नालाल, अरूणा- कैलाश, मनोहर-अशोक कुमार व रामचन्द्र के मकान में किए गए अवैध कनेक्शन शामिल हैं। सारे बिना अनुमति किए गए थे। यह कार्रवाई कार्यपालन यंत्री शेख के निर्देशन में उपयंत्री सुहास पंडित, भैय्यालाल चौधरी, केमिस्ट नीरज यादव, जितेंद्र सिसोदिया ने की। भास्कर

वृंदावन सोसायटी का नल कनेक्शन काटता निगमकर्मी।

93950 रुपए का जलकर वसूल

उधर बकाया जलकर की वसूली निगम ते से कर रहा है। इसके तहत अब तक कुल 93950 रुपए वसूले जा चुके हैं। इनमें वा 1 से 12 में 15720 रुपए, वार्ड 13 से 2 में 29540 रुपए, वार्ड 26 से 37 में 142 रुपए और वार्ड 38 से 49 से वसूला गया 34440 रुपए का जलकर शामिल हैं।

बकाया जलकर वसूलने के लिए जोन अनुसार अधिकारियों को नियुक्त कर कि है। ये अवैध नल कनेक्शन की जांच क तुरंत उसने काटने की कार्रवाई करेंगे। गुरुवार को 8 अवैध नल कनेक्शन औ बकाया ज्यादा होने पर वृंदावन सोसाय का नल कनेक्शन काटा है। कार्रवाई लगातार होगी।

सोमनाथ झारिया, आयुक्त

दै. भास्कर 7/1/22

श्रीमालीवास में आठ अवैध नल कनेक्शन काटे

रतलाम। अवैध नल कनेक्शन विच्छेदन व जलकर की बकाया राशि वसूलने के लिए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने जोन अनुसार अधिकारियों को नियुक्त किया है।

इसके तहत नियुक्त अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करते हुए वृंदावन सोसाइटी पर 1.24 लाख की राशि बकाया जमा नहीं करने पर बल्क कनेक्शन विच्छेद किया गया। इसके अलावा अवैध नल कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई के तहत श्रीमालीवास में कमलाबाई-मनोहर, अंकित-अशोक, डीएस कलेक्शन, वीरू-भगतसिंह, जीवनलाल-पन्नालाल, अरुणा-कैलाश, मनोहर-अशोक कुमार व रामचंद्र के अवैध नल कनेक्शन विच्छेद किए गए।

साथ ही विभिन्न वार्डों में 93950 रुपये जलकर की बकाया वसूली की गई। कार्रवाई कार्यपालन यंत्री मोहम्मद हनीफ शेख के निर्देशन में उपयंत्री सुहास पंडित, भैयालाल चौधरी, केमिस्ट नीरज यादव व जितेंद्र सिसौदिया द्वारा की गई। नई.

नईदुनिया 7/1/22

जिले में भी पाजेटिव मरीज का आंकड़ा बढ़ने से प्रशासन ने सख्त कदम उठाए

मास्क न लगाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी चेतावनी दी

रतलाम ● स्वदेश समाचार

जिले में कोविड-19 के पाजीटिव तथा एक्टिव कैसेज की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले एक सप्ताह में छुटपुट पाजेटीव मरीज आने के बाद बुधवार रात को 14 पाजेटीव केस आने से जिले में हड़कम्प सा माहौल है। जो 14 मरीज पाजेटीव पाए गए है उनमें बन्नखेड़ा जावरा का छ: वर्ष का बालक भी शामिल है, उसके अलावा कस्तुरबा नगर की 15 वर्षीय बालिका, 17 वर्षीय बालक, पिपलौदा के राकोदा का 18 वर्षीय लड़का, पुनम विहार का 19 वर्षीय युवक भी शामिल है। सभी पाजेटीव मरीज 52 वर्ष से कम आयु के है। 14 में से 7 मरीज शहर के बाकी जिले से है। इनमें जावरा का एक, पिपलौदा के चार , हाट पिपलिया का एक, डेलनपुर का एक पाजेटीव शामिल है। अभी तक पाजेटीव मरीजों की संख्या 10532 हो गई है। 1096 की रिपोर्ट मेडीकल कालेज से आना शेष है।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। वहीं जिले के सभी एसडीएम एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी व्यक्ति बगैर मास्क के नजर आए उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में भी मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध कड़ी नजर रखी जाए और एक्शन लिया जाए।

जारी आदेश के तहत रतलाम जिले की राजस्व सीमा में आयोजित सभी प्रकार के मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर के इस्तेमाल का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले में आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम की पूर्वानुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अंतिम संस्कार, उठावना में अधिकतम 50 व्यक्ति को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, वहां कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। आदेश उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। नगर निगम तथा राजस्व विभाग अमले द्वारा नगर के विभिन्न इलाकों में मास्क न पहनने वालों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई तेज कर दी गई है, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे है उन्हें जुर्माने के साथ मास्क भी दिया जा रहा है। मास्क नहीं पहनने वालों को समझाईश देने की दृष्टि से गुरूवार शाम को शहर में प्रशासन द्वारा फ्लेग मार्च भी नगर के विभिन्न मार्चों से निकाला गया। स्वदेश

स्वदेश 7/1/२२

कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए मॉस्क लगाएं

रतलाम, नप्र। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता देख लोग घबरा रहे है। डरते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर र हे हैं कि रतलाम नगर को कोरोना के संक्रमण से बचाए रखना। लेकिन लोग जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। बुधवार को 14 नए कोरोना मरीज आ गए। जिससे लोगों का डर और ज्याद बढ़ गया है। रतलाम में कोरोना संक्रमण अपनी रफ्तार ना पकड़ें इसके लिए प्रशासन नगरवासियों से लगातार अपील कर रहा हैं कि कोरोना के नियमों का पालन सख्ती से करें। मास्क जरूर लगाए। भीड़ में जाने से बचें।

लोगों को डर भी सताने लगा है कि कोरोना केस बढ़ने पर कहीं प्रशासन फिर से नई-नई पाबंदियां लगाना शुरू ना कर दें। हालांकि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम लोगों को पहले ही आगाह कर चुके है कि हम सभी को मिलकर कोरोना संक्रमण से लड़ना हैं तो समझदारी से काम लेना होगा..लापरवाही कतई नहीं बरतना है। छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी सावधानी का खासतौर पर ध्यान रखें। शारीरिक दूरी बनाए रखें और मास्क का उपयोग कड़ाई से करें। भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर हम सब मिलकर सावधानी बरतेंगे तो पाबंदियों जैसी नौबत ही नहीं आएंगी। बस जरूरी हैं कि हम सर्तकता और सावधानी जरूर बरतें। कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी की रोकथाम और बचाव के लिए जिला प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग का अमला लगातार कोशिश में जुटा है। जांच रिपोर्ट में कल बुधवार को 14 सेम्पल पॉजीटिव आए है। छह साल का बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा 15, 17 के किशोर और 18, 19, 22 के युवा भी शामिल है। अभी रतलाम में भर्ती मरीजों की संख्या 22 है। आईसोलेशन वार्ड से एक मरीज की छुट्टी भी हुई है। खेरियत यह हैं कि अभी फिलहाल कोविड केयर सेंटर में एक भी मरीज भर्ती नहीं है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए जिले में उन्नीस रेपिड रिस्पांस टीम बनाई है। इतनी ही संख्या की मोबाइल मेडिकल यूनिट भी बनाई है।

सुरक्षा के नजरिये से ही प्रशासन ने त्रिवेणी मेले को समय से पहले ही बंद करवाने के निर्देश जारी किए ताकि लोग भीड़ में ना जाए। आगामी 10 जनवरी से शुरू होने वाला खेल चेतना मेला इस बार भी नहीं होगा। क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष एवं चेतन्य काश्यप फाउंडेशन अध्यक्ष विधायक चेतन्य काश्यप ने खेल मेला निरस्त करने का निर्णय खेल चेतना मेला आयोजन समिति की बैठक में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लिया है। काश्यप ने कहा कि देश और प्रदेश में कोरोना के प्रकरण लगातार बढ़ रहे है। हाल में पन्द्रह से अठारह बरस के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया है जिसमें बच्चों को टीके लगाए जा रहे है। कोरोना की तीसरी लहर से सबका बचाव जरूरी है इसी के मद्देनजर खेल मेला नहीं किया जा रहा है।

पॉजिटिव आने पर हफ्तेभर के लिए पूरा परिवार होगा क्वॉरेंटाइन

रतलाम, नप्र। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने कोविड-19 गाइड लाइन में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कहा गया है कि किसी व्यक्ति के कोविड-19 सैंपल पॉजिटिव आने पर उस व्यक्ति के पूरे परिवार को सात दिनों के लिए क्वारेंटाइन किया जाएगा। जिले की राजस्व सीमा में सभी सेवा प्रदाता संस्थानों के संचालक एवं निजी संस्थानों में काम करने वाले लोगों को जरूरी रूप से मास्क का उपयोग करना होगा साथ ही वहां आने वाले लोगों और ग्राहकों को भी मास्क के लिए प्रेरित करना होगा। कलेक्टर ने कहा कि सभी दुकानदार, फल, सब्जी व्यापारी, ठेला गाड़ी, फुटकर विक्रेता जरूरी रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। सभी रहवासी मास्क का उपयोग कर संक्रमण से बचने के लिए भीड़भाड़ से दूर रहेंगे। जिले के पूरी नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करना जरूरी होगा। मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

अनुमति बगैर निजी अस्पताल में इलाज नहीं

रतलाम, नप्र। जिले की सीमा के निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, औषधालय में कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरीएंट संक्रमित रोगी का उपचार बगैर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जो अस्पताल अधिकृत होंगे उनको सेवा शुल्क की सूची सहज रूप से दिखाई देने ऐसे जगह पर लगाना जरूरी होगा। शासन की तय दर से अधिक राशि नहीं लेंगे और अधिकृत चिकित्सालय रोगियों को दक्ष चिकित्सकों तथा स्टाफ के माध्यम से जरूरी वैधानिक एवं उपचारात्मक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना जरूरी होगा।

प्रभात किरण 6/1/22

रतलाम को कचरामुक्त बनाने की तैयारियों में जुट जाएं-आयुक्त

रतलाम, नप्र। रतलाम शहर को शत-प्रतिशत कचरा मुक्त शहर बनाना है। इसके लिए सभी अपनी-अपनी तैयारियों में जुट जाए। नागरिकों को सफाई अभियान में जागरूक कर घरों में चार तरह के कचरापात्र रखने के लिए तैयार करें।

निगम आयुक्त सोमनाथ ने यह बात स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को लेकर आहूत बैठक में दिए। रतलाम नगर को सर्वेक्षण के हर क्षेत्र में रतलाम नगर को अच्छे नंबर मिलने के लिए इसके लिए निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा एचएमएस के सदस्यों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी 49 वार्डों के हर घर व दुकानों से कचरा लिया जाए। उन्होंने कहा कि रतलाम का सीवरेज सिस्टम शुरू है साथ ही वॉटर ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। ट्रीटेड पानी का संग्रहण कर अन्य उपयोग में दिए जाने के लिए एसटीपी प्लांट पर सम्पवेल बनाने की कार्रवाई तेजी से की जाकर सम्पवेल निर्माण कराया जाए ताकि रतलाम नगर वॉटर में अप्लाय कर सकें। बल्क वेस्ट जनरेटर की जानकारी बैठक में दिए जाने पर निगम आयुक्त झारिया ने निर्देशित किया कि बल्क वेस्ट जनरेटर की सूची में 200 बेड के शासकीय व नीति अस्पताल, स्कूल, पांच हजार स्कवेयर फीट के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, इण्डस्ट्रीज आदि को भी शामिल कर झोन प्रभारी सूची तैयार कर प्रस्तुत करें।आयुक्त ने कहा कि शहर में 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लॉस्टिक पर पूरी तरह से रोक है इसके भण्डारण, खरीदी-बिक्री पर रोक लगाए जाने कार्यवाही भी शुरू की जाए। बैठक में उपायुक्त विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, मोहम्मद हनीफ शेख, स्वास्थ्य अधिकारी जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्याम सोनी, प्रभारी सहायक यंत्री एम.के. जैन, अरविन्द दशोत्तर, सत्यप्रकाष आचार्य, अनवर कुरैशी के अलावा सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह, उपयंत्री राजेन्द्र मिश्रा, सुहास पंडित, बी.एल चौधरी, राजेश पाटीदार, ब्रजेश कुशवाह, अनिता ठाकुर, दीक्षा निजामपुरकर, सहायक राजस्व निरीक्षक बलवंत राठौर, सहायक वर्ग बी.एल. चावरे, उद्यान प्रभारी धर्मेन्द्र दोगाया, अनिल पारा, झोन प्रभारी किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान सहित वार्ड पर्यवेक्षक मौजूद रहे।

प्रभात किरण 6/1/22

कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए मॉस्क लगाएं

रतलाम, नप्र। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता देख लोग घबरा रहे है। डरते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर र हे हैं कि रतलाम नगर को कोरोना के संक्रमण से बचाए रखना। लेकिन लोग जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। बुधवार को 14 नए कोरोना मरीज आ गए। जिससे लोगों का डर और ज्याद बढ़ गया है। रतलाम में कोरोना संक्रमण अपनी रफ्तार ना पकड़ें इसके लिए प्रशासन नगरवासियों से लगातार अपील कर रहा है कि कोरोना के नियमों का पालन सख्ती से करें। मास्क जरूर लगाए। भीड़ में जाने से बचें।

लोगों को डर भी सताने लगा है कि कोरोना केस बढ़ने पर कहीं प्रशासन फिर से नई-नई पाबंदियां लगाना शुरू ना कर दें। हालांकि कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम लोगों को पहले ही आगाह कर चुके है कि हम सभी को मिलकर कोरोना संक्रमण से लड़ना है तो समझदारी से काम लेना होगा..लापरवाही कतई नहीं बरतना है। छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी सावधानी का खासतौर पर ध्यान रखें। शारीरिक दूरी बनाए रखें और मास्क का उपयोग कड़ाई से करें। भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर हम सब मिलकर सावधानी बरतेंगे तो पाबंदियों जैसी नौबत ही नहीं आएंगी। बस जरूरी है कि हम सतर्कता और सावधानी जरूर बरतें। कोरोना वायरस संक्रमण बीमारी की रोकथाम और बचाव के लिए जिला प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग का अमला लगातार कोशिश में जुटा है। जांच रिपोर्ट में कल बुधवार को 14 सेम्पल पॉजीटिव आए है। छह साल का बच्चा भी शामिल है। इसके अलावा 15, 17 के किशोर और 18, 19, 22 के युवा भी शामिल है। अभी रतलाम में भर्ती मरीजों की संख्या 22 है। आईसोलेशन वार्ड से एक मरीज की छुट्टी भी हुई है। खेरियत यह है कि अभी फिलहाल कोविड केयर सेंटर में एक भी मरीज भर्ती नहीं है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए जिले में उन्नीस रेपिड रिस्पांस टीम बनाई है। इतनी ही संख्या की मोबाइल मेडिकल यूनिट भी बनाई है।

सुरक्षा के नजरिये से ही प्रशासन ने त्रिवेणी मेले को समय से पहले ही बंद करवाने के निर्देश जारी किए ताकि लोग भीड़ में ना जाए। आगामी 10 जनवरी से शुरू होने वाला खेल चेतना मेला इस बार भी नहीं होगा। क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष एवं चेतन्य काश्यप फाउंडेशन अध्यक्ष विधायक चेतन्य काश्यप ने खेल मेला निरस्त करने का निर्णय खेल चेतना मेला आयोजन समिति की बैठक मे कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लिया है। काश्यप ने कहा कि देश और प्रदेश में कोरोना के प्रकरण लगातार बढ़ रहे है। हाल में पन्द्रह से अठारह बरस के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया है जिसमें बच्चों को टीके लगाए जा रहे है। कोरोना की तीसरी लहर से सबका बचाव जरूरी है इसी के मद्देनजर खेल मेला नहीं किया जा रहा है।

पॉजिटिव आने पर हफ्तेभर के लिए पूरा परिवार होगा क्वॉरेंटाइन

रतलाम, नप्र। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने कोविड-19 गाइड लाइन में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कहा गया है कि किसी व्यक्ति के कोविड-19 सैंपल पॉजिटिव आने पर उस व्यक्ति के पूरे परिवार को सात दिनों के लिए क्वारेंटाइन किया जाएगा। जिले की राजस्व सीमा में सभी सेवा प्रदाता संस्थानों के संचालक एवं निजी संस्थानों में काम करने वाले लोगों को जरूरी रूप से मास्क का उपयोग करना होगा साथ ही वहां आने वाले लोगों और ग्राहकों को भी मास्क के लिए प्रेरित करना होगा। कलेक्टर ने कहा कि सभी दुकानदार, फल, सब्जी व्यापारी, ठेला गाड़ी, फुटकर विक्रेता जरूरी रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। सभी रहवासी मास्क का उपयोग कर संक्रमण से बचने के लिए भीड़भाड़ से दूर रहेंगे। जिले के पूरी नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करना जरूरी होगा। मास्क का उपयोग नहीं करने वालों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

अनुमति बगैर निजी अस्पताल में इलाज नहीं

रतलाम, नप्र। जिले की सीमा के निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, औषधालय में कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरीएंट संक्रमित रोगी का उपचार बगैर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जो अस्पताल अधिकृत होंगे उनको सेवा शुल्क की सूची सहज रूप से दिखाई देने ऐसे जगह पर लगाना जरूरी होगा। शासन की तय दर से अधिक राशि नहीं लेंगे और अधिकृत चिकित्सालय रोगियों को दक्ष चिकित्सकों तथा स्टाफ के माध्यम से जरूरी वैधानिक एवं उपचारात्मक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना जरूरी होगा।

प्रभात किरण 6/1/22

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रतलाम। जिले में कोविड-19 के पाजिटीव तथा एक्टिव कैसेज की संख्या में तेजी से बढोत्तरी को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश के तहत रतलाम जिले की राजस्व सीमा में आयोजित सभी प्रकार के मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर के इस्तेमाल का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले में आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम की पूर्वानुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार, उठावना में अधिकतम 50 व्यक्ति को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, वहां कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। आदेश उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। इन्दौर

इन्दौर समाचार 7/1/22

पात्र हितग्राहियों को एक मुश्त मिलेगा दो माह का राशन

रतलाम ● स्वदेश समाचार

माह जनवरी में राष्टीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राहियों को माह जनवरी एवं फरवरी का एक मुश्त राशन का वितरण किया जाएगा। इसमें हितग्राहियों को 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत' तथा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' अन्तर्गत दो माह का एक मुश्त खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। जिले में स्थित 523 उचित मूल्य दुकानों से 2 लाख 27 हजार हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा।

जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी ने बताया कि समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि दुकान पर आवंटन खाद्यान्न का पर्याप्त भण्डारण करवाएं। पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन सामग्री का वितरण कराया जाए एवं हितग्राहियों को वितरित सामग्री की पीओएस मशीन से ज़ारी पावती आवश्यक रुप से दी जाए।

सभी सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि एकमुश्त दो माह के वितरित खाद्यान्न की व्यवस्था से सतर्कता समिति के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रुप से अवगत कराया जाए एवं इसका प्रचार-प्रसार भी करवाया जाए। खाद्यान्न के प्रदाय एवं वितरण पर सतत निगरानी एवं निरीक्षण किया जाए एवं वितरण में अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। राशन प्राप्त करे में कठिनाई उत्पन्न होने पर जिला स्तरीय पीडीएस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07412-270414 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

स्वदेश 7/1/22

2 लाख 27 हजार हितग्राहियों को मिलेगा लाभ

पात्र हितग्राहियों को एक साथ मिलेगा दो माह का राशन

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा एक बार फिर से जनवरी माह में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राहियों को जनवरी और फरवरी माह का एक मुश्त राशन का वितरण किया जाएगा। इसमें हितग्राहियों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनांतर्गत तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत दो माह का एक मुश्त खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। जिले में स्थित 523 उचित मूल्य दुकानों से 2 लाख 27 हजार हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा।

जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी ने बताया कि सभी शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि दुकान पर आवंटन खाद्यान्न का पर्याप्त भण्डारण करवाएं। पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन सामग्री का वितरण कराया जाए एवं हितग्राहियों को वितरित सामग्री की पीओएस मशीन से जारी पावती आवश्यक रूप से दी जाए।

अनियमितता पर होगी कार्रवाई

सभी सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि एकमुश्त दो माह के वितरित खाद्यान्न की व्यवस्था से सतर्कता समिति के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से अवगत कराया जाए एवं इसका प्रचार-प्रसार भी करवाया जाए। खाद्यान्न के प्रदाय एवं वितरण पर सतत निगरानी एवं निरीक्षण किया जाए एवं वितरण में अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

पत्रिका 7/1/22

एकमुश्त दो माह का राशन ले सकेंगे

रतलाम | इस महीने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राहियों को जनवरी और फरवरी का एक मुश्त राशन का वितरण किया जाएगा। हितग्राहियों को 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना' और 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत दो महीने का एक मुश्त खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। जिले में 523 उचित मूल्य दुकानों से 2.27 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी एसएच चौधरी ने दी।

मास्क नहीं लगाने पर 110 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कोरोना वायरस (कोविड-19) को वैश्विक महामारी चिन्हित किए जाने तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा इसे संक्रामक रोग घोषित किए जाने से रतलाम नगर में संक्रमण का फैलाव ना हो, इस हेतु सभी नागरिकों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। नगर में ऐसे नागरिक जो कि मास्क नहीं लगा रहे हैं या गलत तरीके से लगा रहे हैं, उन पर कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम के गठित दलों द्वारा निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम अभिषेक गेहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी के निर्देशन में जुर्माने की कार्यवाही करते हुए 06 जनवरी गुरूवार को नगर के विभिन्न क्षेत्रों में 110 व्यक्तियों पर जुर्माना कर मास्क लगाने की समझाईश दी गई। मास्क नहीं लगाने व गलत तरीके से लगाने के तहत की जा रही जुर्माने के अन्तर्गत दो बत्ती थाना क्षेत्र में 28, माणक चौक थाना क्षेत्र में 49, नगर निगम स्पॉट फाईन टीम द्वारा 33 इस तरह 110 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

प्रसारण

प्रसारण 7/1/22

मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू, कलेक्टर ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कोरोना संक्रमण नियंत्रण के दृष्टिगत जिले के सभी एसडीएम और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी व्यक्ति बगैर मास्क के नजर आए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि दुकानों, रेस्टोरेंट इत्यादि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध कड़ी नजर रखी जाए और एक्शन लिया जाए।

प्रसारण

प्रसारण 7/1/22

मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कोरोना संक्रमण नियंत्रण के दृष्टिगत जिले के सभी एसडीएम और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी व्यक्ति बगैर मास्क के नजर आए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि दुकानों, रेस्टोरेंट [illegible] दि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व्यापा[illegible]क प्रतिष्ठानों में भी मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध कड़ी नजर रखी जाए और एक्शन लिया जाए।

आलोक

आलोक 7/1/22

बिना मास्क घूम रहे 110 को पकड़ा, जुर्माना वसूला

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। बावजूद लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। सड़कों पर ऐसे ही घूम रहे 110 व्यक्तियों को गुरुवार को नगर निगम अमले ने पकड़ा। प्रत्येक से 100 रुपए का जुर्माना वसूला।

आयुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम अभिषेक गेहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई है। गुरुवार को दो बत्ती थाना क्षेत्र में 28, माणक चौक थाना क्षेत्र में 49, नगर निगम स्पॉट फाइन टीम ने 33 व्यक्तियों को रोका। मास्क लगाने की हिदायत देने के साथ ही जुर्माना भी किया। भास्कर

दै. भास्कर 7/1/22

सतर्क रहें • ज्यादातर मरीज रेंडम सैंपलिंग में निकले, खुद रिपोर्ट देख चौंक रहे, कस्तूरबा नगर के परिवार की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में मिले 40 लोग

12 नए पॉजिटिव

दूसरी लहर में मरीज 10 गुना होने में लगे थे 36 दिन, इस बार सिर्फ 23 दिन, यानी संक्रमण दर पहले से तेज

भास्कर संवाददाता | रतलाम

संक्रमण दर 1.09, शहर में 5 निजी अस्पताल ने कोविड के इलाज के लिए आवेदन किया है, सीएमएचओ दौरा करेंगे

जिले में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मरीजों की संख्या 10 पार होने में 36 दिन का वक्त लगा था, इस बार 23 दिन में ऐसा हो चुका है। गुरुवार को जिले में एक साथ 12 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई।

इधर, पॉजिटिव मिलने के साथ बड़ी राहत है, क्योंकि जिले में पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, लेकिन गंभीर मरीज नहीं है। जिले में इस बार पहला संक्रमित मरीज 13 दिसंबर को सामने आया था। बुधवार को यानी 23 दिन बाद संक्रमित का आंकड़ा 10 से ज्यादा पहुंच गया। बुधवार को 14 तो गुरुवार को 12 नए संक्रमित सामने आ गए। दूसरी लहर में 3 फरवरी से इक्का-दुक्का मरीज मिल रहे थे, जो कि 9 मार्च को आंकड़ा 15 पॉजिटिव के पार हो गया था, संक्रमितों की संख्या 1 से 10 होने में 36 दिन लगे थे। बुधवार को एक परिवार के 2 लोग संक्रमित आए थे, जोकि बिहार-छत्तीसगढ़ टूर पर गए थे। 40 लोगों के सैंपल भी गुरुवार को लिए हैं।

इधर, शहर में पिछले दो दिन से संक्रमण दर भी 1 से ज्यादा हो गई है। 0 बनी हुई थी, जोकि बुधवार को 1.09 पर पहुंच गई थी। इधर, राहत की बात ये है कि ज्यादातर लोगों में किसी तरह के लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं। रेंडम सैंपलिंग में लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद लोग खुद आश्चर्य कर रहे हैं।

जीनोम रिपोर्ट नहीं मिली

जीनोम सैंपलिंग की रिपोर्ट गुरुवार को भी नहीं मिली है। मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबॉयोलॉजी लैब के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रफुल्ल सोनगरा ने बताया रिपोर्ट के लिए लगातार अपडेट ले रहे हैं।

हम नहीं सुधरेंगे : युवक की अकड़... मैं मास्क नहीं पहनूंगा

सैलाना बस स्टेंड चौराहे पर गुरुवार को चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान एक युवक इस बात पर अड़ गया कि वह मास्क नहीं पहनेगा। सीएसपी ने युवक को समझाया, चालान काटा

4 बॉर्डर्स पर चैकिंग शुरू, 18 फीवर केंद्र चालू होंगे

- कोविड केयर सेंटर्स पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने टीवी कपड़े धुलाई की व्यवस्था, पोषणयुक्त आहार की व्यवस्था होगी।
- 5 निजी अस्पताल ने कोविड-19 के इलाज के लिए आवेदन किया है। सीएमएचओ दौरा करेंगे।
- 18 फीवर केंद्र चालू किए जा रहे हैं।
- नवोदय विद्यालय आलोट में 59 बच्चों की सैंपलिंग हुई है।
- एक पॉजिटिव मिलने पर 7 दिन के लिए उसका परिवार क्वारेंटाइन रहेगा।
- जावरा और पिपलौदा में 100 बेड कोविड सेंटर्स रहेंगे।
- सैलाना के कन्या आवासीय परिसर और बाजना के आईटीआई परिसर में 50-50 बेड के कोविड सेंटर रहेंगे।
- कोविड के चलते कलेक्टर ने अवकाश प्रतिबंधित कर दिए हैं।
- मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती के लिए प्रत्येक थाने से केवल मास्क निगरानी के लिए एक-एक टीम रहेगी।
- कलेक्टर ने होटलों, रेस्टोरेंट्स पर कोशिश करने का कहा है कि वहां लोग खड़े रहकर नहीं खाएं बल्कि पार्सल ले जाएं।
- जिले में 4 बॉर्डर्स पर चेकिंग व्यवस्था शुरू की है।
- सैंपलिंग करने वाले दल के साथ पुलिस आरक्षक भी रहेंगे।

दूसरी लहर में मौतों का सिलसिला लगातार जारी था

- दूसरी लहर में 9 मार्च को 15 पॉजिटिव आए थे। ऐसा 36 दिन बाद हुआ था।
- इससे पहले 2 फरवरी को 14 पॉजिटिव सामने आए थे। इस बीच 11 फरवरी को ऐसा हुआ था, जब पॉजिटिव 0 थे।
- हालांकि, इस दौरान मौतों का सिलसिला बना हुआ था, रोज 1 या 2 मौत हो रही थी।
- मरीजों का आंकड़ा 10 से 20 के पार होने में 4 दिन लगे थे। वहीं, अगले 5 दिन में यह 30 के पार हो गया था।
- 7 अप्रैल को 100 के पार तो इसके 10 दिन बाद ही दोगुने यानी रोज 200 से ज्यादा मरीज मिलने लगे थे।
- 8 मई को एक दिन में 398 पॉजिटिव सामने आ गए थे, जो कि इस लहर का पीक था। इसके बाद मरीज कम होने लगे।

सभी मास्क जरूर पहनें

कोरोना को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। मास्क सभी पहनें, नहीं पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। सभी को अलर्ट रहने का कहा है। संक्रमण की रफ्तार तेज दिख रही है, लेकिन अभी तक गंभीर मरीज नहीं मिले है। – **कुमार पुरुषोत्तम,** कलेक्टर, रतलाम

द.भास्कर 7/1/22

सड़कों पर उतरा प्रशासन, एसडीएम और सीएसपी ने की चालानी कार्रवाई

रतलाम। रतलाम में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने आम जनता से मास्क पहनने की अपील के लिए फ्लैग मार्च निकाला है। एसपी और कलेक्टर के साथ प्रशासन का पूरा अमला वाहनों के काफिले के साथ शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों से गुजरा।

इस बीच बिना मास्क के घूम रहे लोगों को एसपी और कलेक्टर ने समझाइश भी दी। प्रशासन की टीम ने मास्क भी बांटे। यही नहीं पूरे जिले में आज मास्क को लेकर अभियान चलाया गया। रामशहर में भी सीएसपी और शहर एसडीएम ने प्रमुख चौराहों पर खड़े होकर चालानी कार्रवाई की है।

गौरतलब है कि रतलाम जिले में बुधवार शाम 14 कोरोना मरीज मिले थे। जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पूर्व में ही धारा 144 के अंतर्गत मास्क पहनना अनिवार्य घोषित किया है। लेकिन सड़कों पर लापरवाही कर रहे लोगों को समझाइश देने के लिए प्रशासन गुरुवार सड़कों पर उतरा है। दोपहर में जहां जिले भर में मास्क नहीं पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई करने का अभियान चलाया गया। वहीं, आज शाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी गौरव तिवारी प्रशासनिक अमले के साथ वाहनों का काफिला लेकर फ्लैग मार्च पर निकले है। लापरवाही बरत रहे लोगों को समझाइश देकर मास्क भी बांटे गए। कलेक्टर और एसपी ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क अनिवार्य तौर पर लगाने की अपील की है।

नवभारत

नवभारत 7/1/22

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रतलाम। जिले में कोविड-19 के पाजिटीव तथा एक्टिव कैसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश के तहत रतलाम जिले की राजस्व सीमा में आयोजित सभी प्रकार के मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर के इस्तेमाल का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले में आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम की पूर्वानुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार, उठावना में अधिकतम 50 व्यक्ति को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, वहां कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। आदेश उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

नवभारत

पात्र हितग्राहियों को एक मुश्त मिलेगा दो माह का राशन

रतलाम। माह जनवरी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राहियों को माह जनवरी एवं फरवरी का एक मुश्त राशन का वितरण किया जाएगा। इसमें हितग्राहियों को 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत' तथा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' अन्तर्गत दो माह का एक मुश्त खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। जिले में स्थित 523 उचित मूल्य दुकानों से 2 लाख 27 हजार हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.एच. चौधरी ने बताया कि समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि दुकान पर आवंटन खाद्यान्न का पर्याप्त भण्डारण करवाएं। पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन सामग्री का वितरण कराया जाए एवं हितग्राहियों को वितरित सामग्री की पीओएस मशीन से जारी पावती आवश्यक रुप से दी जाए। नवभारत

नवभारत 7/1/22

पात्र हितग्राहियों को एक मुश्त मिलेगा दो माह का राशन

रतलाम। माह जनवरी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राहियों को माह जनवरी एवं फरवरी का एक मुश्त राशन का वितरण किया जाएगा। इसमें हितग्राहियों को 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत' तथा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' अन्तर्गत दो माह का एक मुश्त खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। जिले में स्थित 523 उचित मूल्य दुकानों से 2 लाख 27 हजार हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी ने बताया कि समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि दुकान पर आवंटन खाद्यान्न का पर्याप्त भण्डारण करवाएं। पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन सामग्री का वितरण कराया जाए एवं हितग्राहियों को वितरित सामग्री की पीओएस मशीन से जारी पावती आवश्यक रुप से दी जाए। सभी सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि एकमुश्त दो माह के वितरित खाद्यान्न की व्यवस्था से सतर्कता समिति के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रुप से अवगत कराया जाए एवं इसका प्रचार-प्रसार भी करवाया जाए। खाद्यान्न के प्रदाय एवं वितरण पर सतत निगरानी एवं निरीक्षण किया जाए एवं वितरण में अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। राशन प्राप्त करे में कठिनाई उत्पन्न होने पर जिला स्तरीय पीडीएस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07412-270414 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। प्रसारण

प्रसारण 7/1/22

पात्र हितग्राहियों को एक मुश्त मिलेगा दो माह का राशन

रतलाम। माह जनवरी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राहियों को माह जनवरी एवं फरवरी का एक मुश्त राशन का वितरण किया जाएगा। इसमें हितग्राहियों को 'मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत' तथा 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' अन्तर्गत दो माह का एक मुश्त खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। जिले में स्थित 523 उचित मूल्य दुकानों से 2 लाख 27 हजार हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी ने बताया कि समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं को निर्देश दिए गए है कि दुकान पर आवंटन खाद्यान्न का पर्याप्त भण्डारण करवाएं। पात्र हितग्राहियों को पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन सामग्री का वितरण कराया जाए एवं हितग्राहियों को वितरित सामग्री की पीओएस मशीन से जारी पावती आवश्यक रुप से दी जाए। सभी सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि एकमुश्त दो माह के वितरित खाद्यान्न की व्यवस्था से सतर्कता समिति के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों को आवश्यक रुप से अवगत कराया जाए एवं इसका प्रचार-प्रसार भी करवाया जाए। खाद्यान्न के प्रदाय एवं वितरण पर सतत निगरानी एवं निरीक्षण किया जाए एवं वितरण मे अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। राशन प्राप्त करे में कठिनाई उत्पन्न होने पर जिला स्तरीय पीडीएस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07412-270414 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरु, कलेक्टर ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कोरोना संक्रमण नियंत्रण के दृष्टिगत जिले के सभी एसडीएम और राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी व्यक्ति बगैर मास्क के नजर आएं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि दुकानों, रेस्टोरेंट इत्यादि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध कड़ी नजर रखी जाए और एक्शन लिया जाए।

इन्दौर

इन्दौर समाचार 7/1/22

एक-साथ मिलेगा दो महीने का राशन

रतलाम। माह जनवरी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र हितग्राहियो को माह जनवरी एव फरवरी का एक मुश्त राशन का वितरण किया जाएगा। इसमे हितग्राहियो को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत दो माह का एक मुश्त खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। जिले मे स्थित 523 उचित मूल्य दुकानो से 2 लाख 27 हजार हितग्राहियो को इसका लाभ मिलेगा। जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी ने बताया कि समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओ को निर्देश दिए गए है कि दुकान पर आवंटन खाद्यान्न का पर्याप्त भण्डारण करवाएं। पात्र हितग्राहियो को पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन सामग्री का वितरण कराया जाए एवं हितग्राहियो को वितरित सामग्री की पीओएस मशीन से जारी पावती आवश्यक रुप से दी जाए। सभी सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियो को निर्देशित किया गया है कि एकमुश्त दो माह के वितरित खाद्यान्न की व्यवस्था से सतर्कता समिति के सदस्यो एवं जनप्रतिनिधियो को आवश्यक रुप से अवगत कराया जाए। राशन प्राप्त करे मे कठिनाई उत्पन्न होने पर जिला स्तरीय पीडीएस नियंत्रण कक्ष के दूरभाष क्रमांक 07412-270414 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।

इंदौर।

इंडिया [illegible] 7/1/22

ओमिक्रॉन की चिंता : तीन दुकानों पर लगाए ताले

अब तक जिले में 22 एक्टिव केस

प्रसारण न्यूज • रतलाम

जिले में बुधवार शाम 14 कोरोना पॉजिटिव मरीज के बाद से प्रशासनिक खेमे में हड़कंप मच गया है। अब तक जिले में कुल 22 एक्टिव केस है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश के बाद आला अधिकारियों ने गुरुवार सुबह रतलाम शहर व अंचलों के अलग-अलग हिस्सो में मास्क नहीं पहनने वालो पर सख्ती के साथ चालानी कार्रवाई शुरू कर दी।

शहर एस डी एम अभिषेक गेहलोत व सी एस पी हेमंत चौहान ने प्रमुख चौराहों पर लोगों को समझाइश देने के साथ चालान बनाए। इस दौरान कई लोग साईरन सुनकर व अधिकारियों को देखकर गाड़ी घुमाकर इधर-उधर भागते नज़र आए। चैकिंग के दौरान अधिकारियों ने लापरवाही बरत रहे चांदनी चौक में दो सराफा व्यापारी कीर्ति बड़जात्या की हीरालाल झमकलाल एवं हेमन्त भरगट की भरगट ज्वैलर्स तथा कोर्ट चौराहे पर एक चाय रेस्टोरेंट पर मास्क ना पहनने को लेकर फटकार लगाते हुए दुकानों पर ताले लगवा दिए।

एस डी एम अभिषेक गेहलोत ने चर्चा कर बताया कि लोग पहले की परिस्थितियों से भली भांति परिचित है, फिर भी लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में लापरवाह लोग खुली जेल के लिए भी तैयार रहे। शहर व जिले में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस दौरान अधिकारी चलानी कार्रवाई की सख्ती के साथ लोगों को पहनने के लिए मास्क भी उपलब्ध करवाते नजर आए।

कलेक्टर पुरुषोत्तम ने जिलेवासियों से भी लापरवाही ना बरतने की अपील की है।

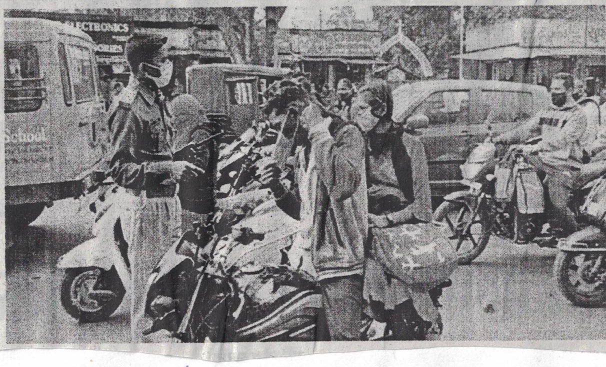

प्रसारण

प्रसारण 7/1/22

* रतलाम में बढ़े मरीज तो सख्त हुआ प्रशासन, दिशा-निर्देश बढ़ाए
* एसडीएम सहित अधिकारियों ने सड़क पर उतर, की कार्रवाई

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

एक ही दिन में 14 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सख्ती बढ़ गई है। अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर लोगों को मास्क और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि दुकानों रेस्टोरेंट इत्यादि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध कड़ी नजर रखी जाए और एक्शन लिया जाए।

बुधवार रात को जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को ही एक 14 नए मरीज पाए गए हैं। इसके पहले कभी एक कभी, दो कभी, कभी तीन मरीज सामने आए थे। ऐसे में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जिले में सख्ती भी बढ़ा दी गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर एसडीएम अभिषेक गेहलोत, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, तहसीलदार गोपाल सोनी सहित शहर के कई अधिकारी, कर्मचारी सड़कों पर उतरे। मास्क नहीं पहनने वालों को देखकर टोका और कई लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। विशेषकर धानमंडी, रानी जी का मंदिर, चौमुखीपुल, चांदनीचौक, घांस बाजार आदि में विक्रेताओं, दुकानदारों, व्यापारियों और ग्राहकों की चैकिंग की। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उनपर चालान बनाने के साथ हिदायत भी दी गई। बताया गया कि दूसरी या तीसरी बार भी मास्क नहीं पहने मिलने पर दुकान ही बंद कर दी जाएगी। कई लोगों को मास्क नहीं पहनने पर सामान लेने आने सामान नहीं देने की बात कही।

दुकानदारों को हिदायत दी गई कि जो ग्राहक बिना मास्क लगाए आए, उसे सामान न दिया जाए। एसडीएम गेहलोत ने कई दुकानों में जाकर उन्हें मास्क नहीं पहनने पर नुकसान भी बताए। इस दौराना मोबाइल पर कोविड टीकाकरण के सर्टिफिकेट भी जांचे गए।

नहीं लगेंगे मेले, शादी में 250, अंतिम संस्कार में 50

कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है कि जिले की राजस्व सीमा में आयोजित सभी प्रकार के मेले, जनसमूह एकत्रित होना प्रतिबंधित है। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोग रहेंगे। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर के इस्तेमाल का पालन करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार, उठावना में अधिकतम 50 व्यक्ति को ही अनुमति दी जा सकेगी। जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, वहां कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें।

शहर में निकला फ्लैग-मार्च, दिया जागरुकता का संदेश

दबंग

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

शहर में कोरोना को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर एमएल आर्य, एसडीएम अभिषेक गेहलोत, एएसपी इंद्रजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस जवान वाहनों में निकले। वाहनों का काफिला कलेक्ट्रेट होते हुए महू रोड, मित्र निवास रोड, पैलेस रोड होते हुए प्रमुख बाजार होते हुए पूरे शहर में निकला। इस दौरान रास्ते में भी अंमले ने लोगों को कोरोना के अनुकूल व्यवहार करने और नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की। साथ ही प्रशासन न यह भी बताया कि आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना होने पर भी ईलाज और इससे निपटने का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन लोग अपने आप को बचाने के लिए अनिवार्य रूप से मास्क पहने और शारीरिक दूरी रखने के साथ ही सेनेटाईजेशन का भी ध्यान रखें।

दबंग दुनिया 7/1/22

कहीं भी न दिखे खराब सड़क , मोबाइल रसोई योजना बनाएं

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। प्रदेश के किसी भी शहर की सड़क खराब नहीं दिखनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे बड़े साफ निर्देश हैं और मुझे परिणाम चाहिए। शहरों के मास्टर प्लान समय सीमा में पूरे हों। मल-जल नदियों में न मिले। अम्मा रसोई जैसे अन्य राज्यों की योजनाओं का अध्ययन करें। मोबाइल रसोई जैसी योजना बनाएं। स्वच्छता में मध्य प्रदेश का नाम होना चाहिए। इसके लिए सभी पक्षों को एक साथ लेकर काम करें।

यह निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नगरीय विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा करते हुए दिए। इस दौरान विभागीय मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया सरल होने चाहिए। वहीं, प्रमुख सचिव मनीष सिंह ने बताया कि भोपाल में 22 और ग्वालियर में 11 प्रतिशत तक वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इंदौर और जबलपुर में भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक स्तर पर है। नई

यह भी दिए निर्देश

- शहर के गौरव, परंपरा, संस्कृति के लिए सिटी डे मनाने का काम करें।
- रीवा में पुनर्घनत्वीकरण योजना में जैसा काम हुआ है, विकास प्राधिकरण उसका अनुसरण करें।
- हम केंद्र सरकार से कैसे अतिरिक्त राशि ले सकते हैं, इस पर काम करें।
- अमरकंटक सहित जिन शहरों में सीवरेज परियोजनाएं पूरी हो गई है, वहां सभी घरों का सीवरेज कनेक्शन अनिवार्य रूप से जोड़ें।
- नगरीय निकाय स्वयं की आय बढ़ाने के रास्ते तलाशें।
- मैरिज गार्डन का निर्धारित शुल्क के साथ पंजीयन सुनिश्चित करें।
- बिना अनुमति किए गए अतिरिक्त निर्माण को वैध करने के लिए दी गई छूट के बाद कार्रवाई करें।

15 अगस्त 2023 तक मेट्रो शुरू करने का लक्ष्य बनाएं : भोपाल और इंदौर-मेट्रो रेल परियोजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिकता कारिडोर के संचालन के लिए 15 अगस्त 2023 तक का लक्ष्य बनाएं। इंदौर से उज्जैन और पीथमपुर के लिए भी मेट्रो ट्रेन के सर्वे की कार्यवाही होनी चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकता कारिडोर के संचालन के लिए आवश्यक कार्यों की निविदा जारी हो चुकी है।

नईदुनिया 7/1/22

मास्क नहीं पहनने वालों की कराई दुकानें बंद, काटे चालान

- रतलाम में बढ़े मरीज तो सख्त हुआ प्रशासन, दिशा-निर्देश बढ़ाए
- एसडीएम सहित अधिकारियों ने सड़क पर उतर, की कार्रवाई

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

एक ही दिन में 14 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सख्ती बढ़ गई है। अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर लोगों को मास्क और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि

नहीं लगेंगे मेले, शादी में 250, अंतिम संस्कार में 50

कलेक्टर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है कि जिले की राजस्व सीमा में आयोजित सभी प्रकार के मेले, जनसमूह एकत्रित होना प्रतिबंधित है। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोग रहेंगे। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर के इस्तेमाल का पालन करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार, उठावना में अधिकतम 50 व्यक्ति को ही अनुमति दी जा सकेगी। जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, वहां कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें।

शहर में निकला फ्लैग-मार्च, दिया जागरुकता का संदेश

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

शहर में कोरोना को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर एमएल आर्य, एसडीएम अभिषेक गेहलोत, एएसपी इंद्रजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस जवान वाहनों में निकले। वाहनों का काफिला

जिले में 18 फीवर क्लीनिक और पांच बड़े कोविड केयर सेंटर खुलेंगे

सतर्कता जरूरी ● 12 नए मरीज मिले, एक्टिव मरीजों की संख्या 34 हुई, फिर से शुरू हुआ प्रतिबंधों का दौर

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि के चलते अब फिर से प्रतिबंधों का दौर शुरू हो गया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही गुरुवार शाम अधिकारियों की बैठक में कोरोना संक्रमण रोकथाम व उपचार को लेकर दिशा निर्देश दिए। बैठक में एसपी गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर एमएल आर्य, सीईओ जिला पंचायत जमुना भिड़े तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इधर गुरुवार को 12 नए मरीज मिले हैं। इनमें से दो मरीज मेडिकल कालेज परिसर से हैं।

जारी आदेश के तहत सभी प्रकार के मेले प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर उपयोग करना अनिवार्य होगा।

विवाह कार्यक्रम की पूर्वानुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार, उठावना में अधिकतम 50 व्यक्ति को ही अनुमति दी जा सकेगी। सभी सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, वहां कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें। आदेश के उल्लंघन पर धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सैलाना बस स्टैंड चौराहा पर चालानी कार्रवाई करते हुए निगमकर्मी। ● नईदुनिया

कलेक्टर ने जारी किए आदेश

- **शादी में 250 मेहमान ही बुला सकेंगे, अनुमति भी जरूरी**
- **सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा**

यहां फीवर क्लीनिक चालू किए जाएंगे

संक्रमण को देखते हुए जिले में 18 स्थानों पर फीवर क्लीनिक चालू किए जा रहे हैं। इसमें रतलाम शहर में जिला अस्पताल, टीआइटी रोड डिस्पेंसरी, हाकिमवाड़ा, दिलीप नगर, गणेश नगर, मेडिल कालेज शामिल है। इसी तरह प्रा स्वास्थ्य केंद्र ढोढर, बिरमावल, रावटी, सरवन, बिलपांक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामली, पिपलौदा, सैलाना, बाजना, ताल व सिविल हास्पिटल जावरा, आलोट में भी फीवर क्लीनिक संचालित होगा। सभी क्लीनिक पर डाक्टर की नियुक्ति भी की गई है।

इस तरह रहेंगे उपचार के इंतजाम

- मरीज के पाजिटिव आने पर सात दिन के लिए पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया जाएगा।
- होम आइसोलेट मरीज तथा क्वारंटाइन किए गए घरों के पर्यवेक्षण के लिए निरीक्षण दल भी कार्य करेंगे।
- सीएमएचओ दवाइयों के किट उपलब्ध करवाएंगे।
- सभी एसडीएम को प्रतिदिन सेंपलिंग कार्य की समीक्षा के लिए आधा घंटा देंगे।
- जावरा तथा पिपलौदा व आलोट में 100 बेड सीसीसी (कोविड केयर सेंटर) प्लान किए गए हैं।
- सैलाना के कन्या आवासीय परिसर तथा बाजना के आइटीआइ परिसर में 50-50 बेड का सीसीसी बनेगा।
- रतलाम ग्रामीण में नामली, बिलपांक, धराड़ तथा बिरमावल में कोविड-केयर सेंटर बनाए गए हैं।
- अतिरिक्त आक्सीजन के लिए शहर के दो आक्सीजन सप्लायर्स के साथ अनुबंध किया गया है।
- कोविड के मद्देनजर शासकीय अमले के अवकाश प्रतिबंधित किए जा रहे हैं।

कोविड-केयर सेंटर्स पर व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहे

बैठक में कलेक्टर ने कोविड-केयर सेंटर्स बनाने की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सेंटर्स पर किसी तरह की कोई व्यवस्था में कमी नहीं रहे। एक व्यक्ति अपने घर से आकर वहां रह रहा है तो उसे बेहतर महसूस हो। वहां पर टीवी, कपड़े धुलाई की व्यवस्था, पोषणयुक्त आहार इत्यादि बेहतर तरीके से उपलब्ध कराया जाए। बैठक में बताया गया कि शहर में 5 अस्पतालों के आवेदन कोविड-19 उपचार के लिए प्राप्त हुए हैं। कलेक्टर ने सीएमएचओ को उपरोक्त सभी अस्पतालों के निरीक्षण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि तीसरी लहर में कोरोना का संक्रमण अत्याधिक तेजी से हो रहा है। व्यवस्थाओं में कोई हड़बड़ी नहीं हो। यदि पेशेंट को भर्ती होना हो तो उसके सामने बेड उपलब्धता स्पष्ट रहे। इसके लिए सार्थक पोर्टल भी अपडेट रखा जाए।

बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी पूरा ध्यान

बैठक में शहर एसडीएम अभिषेक गहलोत ने बताया कि रतलाम शहर में ड्रापआउट बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए वाहन वार्डों में पहुंचेंगे, इसके लिए 15 वाहन कार्य करेंगे। नवोदय विद्यालय आलोट के 59 बच्चों की सैंपलिंग की गई है। एसपी गौरव तिवारी ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती बरती जाए। प्रत्येक थाने से केवल मास्क निगरानी के लिए एक-एक टीम रहे। होटलों, रेस्टोरेंट पर कोशिश की जाए कि लोग वहां खड़े रहकर नहीं खाएं बल्कि पार्सल ले जाएं। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जाए। शादी समारोह तथा उठावना में निर्धारित संख्या की निगरानी रखी जाए। जिले में 4 बार्डर पर चेकिंग व्यवस्था आरंभ की गई है। सैंपलिंग करने वाले दलों के साथ पुलिस आरक्षक रहेंगे।

नए मरीजों में युवाओं की संख्या ज्यादा

कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत में जो नए मरीज मिल रहे हैं, उसमें युवाओं की संख्या ज्यादा है। बुधवार को 14 मरीजों में से 12 की उम्र 40 वर्ष से कम थी, जबकि गुरुवार को 12 मरीजों में दो की उम्र 50 से अधिक है। इसमें मेडिकल कालेज परिसर निवासी 22 व 23 वर्षीय दो युवक, गणेश नगर निवासी 26 व 50 वर्षीय दो महिलाएं, शुभमंगल गार्डन निवासी 34 वर्षीय युवक, अलकापुरी निवासी 27 वर्षीय युवक, त्रिमूर्ति नगर निवासी 65 वर्षीय वृद्ध, ग्राम जड़वासा निवासी 21 वर्षीय युवक, ग्राम पलसोड़ा निवासी 27 वर्षीय युवक, खेतलपुर निवासी 34 वर्षीय युवक, सेजावता निवासी 38 वर्षीय युवक व गांधी कालोनी जावरा निवासी 44 वर्षीय व्यक्ति शामिल है।

110 लोगों से वसूला जुर्माना

कलेक्टर व निगम प्रशासक कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम के गठित दलों द्वारा निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम अभिषेक गेहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी के निर्देशन में जुर्माने की कार्रवाई की गई। गुरुवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 110 व्यक्तियों पर जुर्माना कर मास्क लगाने की समझाइश दी गई।

नईदुनिया 7/1/22

मेडिकल कॉलेज में तीसरी लहर की तैयारी : मेडिकल कॉलेज के डीन बोल

अब तक सामने आए मरीजों में कोरोना का माइल्ड संक्रमण, लेकिन आगामी दिनों में तेजी से फैल सकता है संक्रमण

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

कोरोना की बढ़ी हुई रफ्तार ने एक बार फिर सबकी धड़कने बढ़ा दी है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर की तैयारियों में जुटा है। इस बार रतलाम मेडिकल कॉलेज में कोरोना के मरीजो को राहत देने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट ऑमीक्रोम से लड़ने के लिए 654 बेड का कॉविड हॉस्पिटल तैयार कर लिया गया है। आईसीयू के 100 बेड हर मेडिकल फेसिलिटी के साथ उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर सभी 654 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

बच्चों के लिए भी अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए गए है। दरअसल रतलाम जिले में एक्टिव कोरोना संक्रमितो का आंकड़ा 20 के पार पहुंच गया है। हालांकि डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि अब तक सामने आए सभी संक्रमित मरीजों में माइल्ड संक्रमण सामने आया है, किसी भी पेशेंट वर्तमान में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी है।

तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर रतलाम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. जीतेंद्र गुप्ता ने बताया कि मेडिकल कॉलेज कॉलेज में तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी है। मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल में 654 बेड तैयार किए गए हैं जिन पर आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बच्चों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड तैयार है।

वर्तमान में रतलाम जिले में 20 से अधिक एक्टिव मरीज हैं, जिनमें कोरोना के माइल्ड लक्षण देखने में आ रहे हैं, जिन्हें सामान्य उपचार दिया जा रहा है। ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवाइयों का स्टॉक और उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। जितेंद्र गुप्ता ने बताया कि वर्तमान में जो कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं उनमें अधिकांश लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए गए हैं और सभी मरीजों में हल्के लक्षण पाए गए हैं। किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ी है, लेकिन डॉक्टर गुप्ता ने सावधान करते हुए कहा कि वर्तमान में कोरोना के लक्षण जरूर सामान्य है लेकिन विदेश और देश के वर्तमान आंकड़ों को देखते हुए आगामी 15 दिनों में संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका है, जिसके लिए लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है।

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रतलाम। जिले में कोविड-19 के पाजिटीव तथा एक्टिव कैसेज की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश के तहत रतलाम जिले की राजस्व सीमा में आयोजित सभी प्रकार के मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजर के इस्तेमाल का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले में आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रम की पूर्वानुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार, उठावना में अधिकतम 50 व्यक्ति को ही अनुमति दी जा सकेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में जहां संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक हो, वहां कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। आदेश उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।

प्रसारण 7/1/22

नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रतलाम। सर्द रातों में नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, पांजरा पोल, महू रोड बस स्टैण्ड, बाजना बस स्टैण्ड, सैलाना बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मुखर्जी नगर, कालिका माता, नगर निगम, फायर ब्रिगेड, चांदनी चौक, गौशाला रोड पेयजल टंकी, ऋतुराज सम्पवेल, त्रिवेणी मेला परिसर सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहे पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

आज कस्तूरबा नगर में बकाया वसूली शिविर

रतलाम | बकाया संपत्तिकर और जलकर भरने के लिए नागरिकों को सुविधा देते हुए नगर निगम शिविर लगा रहा है। वार्ड 12 के लिए 7 जनवरी को कस्तूरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामने शिविर लगेगा। वार्ड 12 के लिए 8 जनवरी को प्रियदर्शनी नगर, वार्ड 11 के लिए 10 से 11 जनवरी तक को डोंगरे नगर, वार्ड 46, 47 व 48 के लिए 12 जनवरी को हाट रोड माताजी का मंदिर, वार्ड 13 के लिए 13 जनवरी को कलीमी कालोनी, वार्ड 18 के लिए 14 जनवरी को राजेंद्र नगर में शिविर लगाया जाएगा। शिविर 3 मार्च तक लगाए जाएंगे। अब तक के शिविरों में 26.77 लाख रुपए संपत्तिकर और 5.51 लाख रुपए जलकर जमा हुआ है।

दै. भास्कर 7/1/22

निगम का कर वसूली शिविर मार्च तक

रतलाम, नप्र। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने के लिए वार्ड वार बकाया वसूली शिविर लगाए जा रहे है। ये शिविर आगामी मार्च तक लगेंगे। शिविरों में नागरिक बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित किश्त की राशि जमा होगी।

जिले में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों संख्या चिंताजनक, गुरुवार को भी 12 नये मरीज मिले

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

नए साल के छठे दिन भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले की संख्या 1 दर्जन हो गई है। 5 जनवरी को 14 महिला पुरुष और बच्चे संक्रमित आए थे। 6 दिन में 35 संक्रमण का शिकार हो गए हैं, जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है, लेकिन आमजन अभी भी लापरवाह बने हुए हैं।

जिला महामारी नियंत्रक डॉ. गौरव बोरीवाल ने बताया कि लिए गए सैंपल की जांच में 12 महिला-पुरुष की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनका उपचार किया जा रहा है। संक्रमित में 2 महिला और 10 पुरुष शामिल हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 34 हो गई है। गुरुवार को मेडिकल कॉलेज से 1 को डिस्चार्ज किया गया है। 1345 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी शेष है।

यहां के आए हैं संक्रमित

रतलाम शहर से संक्रमित में जीएमसी के 2 पुरुष, गणेश नगर की 2 महिला, शुभमंगल गार्डन का एक, त्रिमूर्ति नगर का एक, अलकापुरी का एक, गांधी कॉलोनी जावरा का एक, पलसोड़ा का एक, जड़वासा का एक और खेतलपुर का एक पुरुष संक्रमित हुआ है। संक्रमित में सबसे कम उम्र का 22 वर्षीय पूर्व से तो सर्वाधिक 65 वर्षीय बुजुर्ग है।

मास्क के लिए प्रशासन का अभियान : लोगों को मास्क पहनने की अपील के लिए सड़कों पर उतरा प्रशासन

एसडीएम और सी एस पी ने की चालानी कार्रवाई

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

रतलाम में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने आम जनता से मास्क पहनने की अपील के लिए फ्लैग मार्च निकाला है। एस पी और कलेक्टर के साथ प्रशासन का पूरा अमला वाहनों के काफिले के साथ शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों से गुजरा। इस बीच बिना मास्क के घूम रहे लोगों को एस पी और कलेक्टर ने समझाइश भी दी। प्रशासन की टीम ने मास्क भी बांटे। यही नहीं पूरे जिले में आज मास्क को लेकर अभियान चलाया गया। रामशहर में भी सीएसपी और शहर एसडीएम ने प्रमुख चौराहों पर खड़े होकर चालानी कार्रवाई की है।

गौरतलब है कि रतलाम जिले में बुधवार शाम 14 कोरोना मरीज मिले थे, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पूर्व में ही धारा 144 के अंतर्गत मास्क पहनना अनिवार्य घोषित किया है, लेकिन सड़कों पर लापरवाही कर रहे लोगों को समझाइश देने के लिए प्रशासन आज सड़कों पर उतरा है। दोपहर में जहां जि[illegible] भर में मास्क नहीं पहनने वालों पर चाला[illegible] कार्रवाई करने का अभियान चलाया गया, वहं[illegible] आज शाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और ए[illegible] पी गौरव तिवारी प्रशासनिक अमले के सा[illegible] वाहनों का काफिला लेकर फ्लैग मार्च [illegible] निकले है। लापरवाही बरत रहे लोगों [illegible] समझाइश देकर मास्क भी बांटे गए।

कलेक्टर और एसपी ने लोगों से सोश[illegible] डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क अनिव[illegible] तौर पर लगाने की अपील की है।

प्रसारण

प्रसारण 7/1/22

शहर को कचरामुक्त बनाने के लिए हर घर में रखना होगी 4 डस्टबिन

निगम आयुक्त ने ली अधिकारियों की बैठक

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

स्वच्छ सर्वेक्षण 22 में रतलाम नगर को सर्वेक्षण के प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे नम्बर प्राप्त करने की कवायद शुरु हो गई है। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने सर्वेक्षण कार्य में जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी तथा एचएमएस के सदस्यों के साथ बैठक ली।

निगम आयुक्त ने निर्देषित किया कि रतलाम को 100 प्रतिशत कचरा मुक्त बनाना है। सभी 49 वार्डो के प्रत्येक घर व दुकानों से सेग्रीगेटेट कचरा लिया जाये। नागरिकों को अपने घरों में चार प्रकार के कचरे के लिये 4 लीटरबीन रखने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। उन्होने बैठक में निर्देषित किया कि निगम के सभी कचरा संग्रहण वाहनों में जीपीएस सिस्टम तत्काल चालू करवाये जायें।

प्रत्येक घर व दुकान से कचरा संग्रहण हो। बल्क वेस्ट जनरेटर की जानकारी बैठक में दिये जाने पर निगम आयुक्त ने निर्देषित किया कि बल्क वेस्ट जनरेटर की सूची में 200 बेड के शासकीय व नीति अस्पताल, स्कूल, 5000 स्क्वेयर फीट के व्यावसायिक प्रतिशठान, इण्डस्ट्रीज आदि को भी सम्मिलित कर झोन प्रभारी सूची तैयार कर प्रस्तुत करें।

सीवरेज प्रारंभ, पॉलिथीन पर प्रतिबंध बढ़ेगा

श्री झारिया ने कहा कि रतलाम का सीवरेज सिस्टम प्रारंभ है। वॉटर ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। ट्रीटेड पानी का संग्रहण कर अन्य उपयोग में दिये जाने हेतु एसटीपी प्लांट पर सम्पवेल निर्माण प्रारंभ किये जाने की कार्यवाही तेजी से की जाये। साथ ही 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लॉस्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के भी निर्देश दिए गए। उपायुक्त विकास सोलंकी सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

दबंग

दबंग दुनिया 7/1/22